दिनांक 30.12.2024 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

निगम भिलाई के अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन अवधि में अपने कार्य पर उपस्थित हो–आयुक्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने विभागीय कार्यो के सुचारू संचालन में कसावट लाने अधिकारी/कर्मचारियो के लिए आदेश जारी किया है। राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के कार्यावधि के संबंध में पूर्व जारी आदेश को अधिकृमित करते हुए राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्य अवधि सुबह 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। आयुक्त पाण्डेय ने आदेश में निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में कार्यरत समस्य अधिकारी/कर्मचारियों को आदेश दिए है। सभी अधिकारी/कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होवें और सौंपे गये दायित्वो का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करे, अपने दायित्वों का परिपालन करें। विभागीय नस्तियों को अपने टेबल पर जमा न होने दे, शीध्र उसका आगे बढ़ावें। जिससे कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। आयुक्त से संबंधित नस्तियों को समय अवधि के अंदर प्रस्तुत किया जाए। मैं भी नस्तियों का त्वरित निराकरण करूगां। किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्व नगर निगम अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।